FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0283 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/10/2025 19:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 30/10/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:33 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/10/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/10/2025 19:07:36 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL

   (b)**Address(पता):** KASBA PANCHU NOKHA, BIKANER

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PANKAJ SADH

(b) Father's Name (पिता का नाम): PUKHARAJ SADH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2003 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 19, PANCHU, PANCHU, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 19, PANCHU, PANCHU, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AMBALAL MEENA		पिता:KISHANARAM MEENA	1. PATWAR MANDAL PANCHU,NOKHA,PANCHU,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
2	SHRIRAM		पिता:PABURAM	1. HAAL EMITRA SANCHALAK,PANCHU,NOKHA, PANCHU,BIKANER,RAJASTHA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	4000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है कि दिनांक 15.10.2025 को श्री पंकज साध पुत्र श्री पुखराज साध, जाति स्वामी, उम्र 22 साल पेशा पढाई, निवासी वार्ड नम्बर 19 ग्राम पांचू, तहसील नोखा जिला बीकानेर ने हाजिर चौकी एसयू बीकानेर होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि सेवा मे श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट बीकानेर। विषय पांचू पटवारी अम्बालाल मीणा द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में। महोदय निवेदन है कि ग्राम पांचू की रोही में मेरे पिता श्री पुखराज साध के नाम लगभग 50 बीघा कृषि भूमि है। हमारे खेत में से करीब 01 वर्ष पहले बिजली विभाग की बड़ी लाईन का टावर लगा था। टावर के नीचे आई जमीन की तीन किश्त करीब 1.30 लाख रूपये मेरे पिताजी को मिल चुके है व करीब 50,000 रूपये चौथी किश्त के बकाया है, मेरे पिता अनपढ है। पहले तीन किश्तों के रूपये लेने के लिए बिजली विभाग में मैने ही सम्पर्क किया था। चौथी किश्त के लिए मैने 02-03 दिन पहले टावर का काम करने वाले मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने कहा कि आपकी लास्ट किश्त है। इसमें पटवारी की रिपोर्ट जरूरी है। इसलिए पटवारी की रिपोर्ट आने पर आपका भुगतान करवा देगें। इसके बाद आज मै पांचू पटवारी अम्बालाल मीणा से मिला व टावर लगने की रिपोर्ट देने के लिए कही तो पटवारी अम्बालाल ने मुझे कहा कि रिपोर्ट तो मै बनाकर दे दूंगा, परन्तु 5000 रूपये खर्चे के लगेगें। 5000 रूपये खर्चे के ले आना रिपोर्ट तैयार कर 30 तारीख से पहले आपका भुगतान करवा दूगां। मैने कहा पटवारी जी रूपये ज्यादा है कुछ कम करो तो पटवारी ने कहा कि 4000 रूपये दे देना इससे कम नही होगें। इस सम्बन्ध में मैने पिताजी से बात की तो उन्होने कहा कि पटवारी को खर्चा पानी नही देना है। इसके खिलाफ कार्यवाही करवा दें। पटवारी अम्बालाल मीणा मेरे से नाजायज 4000 रूपये रिश्वत के मांग रहा है। मै उसको रिश्वत नही देकर रंगे हाथ पकड़वाने चाहता हूं। आप कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 15.10.2025 प्रार्थी एसडी पंकज साध पुत्र श्री पुखराज साध निवासी वार्ड नम्बर 19 ग्राम पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर। मो. [redacted] परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर मजीद पूछताछ की गयी तो परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की ताईद की।परिवादी की रिपोर्ट व मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। इसके लिये मांग सत्यापन किया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि दिनांक 16.10.2025 को मै पटवारी अम्बालाल मीणा से रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता कर सत्यापन करवा सकता हूँ। चौकी पर उपस्थित श्री जमील अहमद कानि. का परिवादी श्री पकंज साध से परिचय करवाया एवं कानि. को आईन्दा नोखा पहूँच परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन वार्ता कराकर रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये तथा परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूकसत दी गई। दिनांक 16.10.2025 को सरकारी वॉयस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाकर कानि. जमील अहमद को सुपूर्द कर सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी से सम्पर्क करने नोखा रवाना किया गया।वक्त 04.30 पीएम पर कानि. जमील अहमद हाजिर चौकी आया तथा वॉयस रिकॉर्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के सुपूर्द कर बताया कि नोखा में पटवारी के नही मिलने से पांचू पहूँच परिवादी को वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु वॉयस रिकॉर्डर सुपूर्द कर पटवारी से सम्पर्क करने अटल सेवा केन्द्र भेजा गया। कुछ देर बाद परिवादी पंकज साध वापिस आया व बताया कि पटवारी अम्बालाल से मेरी कार्य के संबंध में वार्ता हुई तो पटवारी ने हाथ के ईशारा से पांच हजार रूपये खर्चे के देने की कही। रूपये ज्यादा होने की कहने पर पटवारी ने चार हजार रूपये देने का हाथ से ईशारा किया तथा कहा कि तहसील के सामने ईमित्र वाले सहीराम से मिल लेना मेरी बात करवा देना मै उसको बता दूंगा। आप समझा करो मेरी नौकरी का सवाल है मै भरोसा किसी पे नही करता। इस पर परिवादी ने पटवारी को कहा कि भरोसा नही है क्या बोल दो, तो पटवारी ने कहा कि मै विश्वास करता ही नही हूँ तथा लिखकर ईशारा किया। पटवारी ने कहा कि दिवाली की छुट्यिों के बाद मिल लेना आपका काम कर दूंगा ईमित्र वाले सहीराम से मिल लेना वो सारी बात बता देगा मै उसको कह दूंगा। आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत की स्पष्ट मांग नही कर राशि के बारे में ईमित्र संचालक सहीराम से वार्ता करने की कही है इसलिए आईन्दा परिवादी को ईमित्र संचालक के पास भेजकर मांग सत्यापन का खुलासा वार्ता करवाई जायेगी। रिकॉर्ड वार्ता का वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया।दिनांक 17.10.2025 को कानि. जमील अहमद को वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर ईमित्र संचालक से परिवादी की वार्ता करवाने हेतु रवाना पांचू के लिए किया गया। वक्त 5.30 पीएम पर कानि. जमील अहमद चौकी हाजिर आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को वॉयस रिकॉर्डर

सुपुर्द कर बताया कि परिवादी पकंज साध को वॉयस रिकॉर्डर सहित पांचू स्थित ईमित्र संचालक सहीराम के पास भेजा गया । परिवादी ने वापिस आकर बताया कि मै ईमित्र संचालक सहीराम के पास दुकान में जाकर पटवारी अम्बालाल मीणा को व्हाट्सप कॉल किया तो पटवारी ने फोन उठाया नही। कुछ समय बाद पटवारी अम्बालाल मीणा ने व्हाट्सप कॉल ईमित्र संचालक सहीराम को किया। ईमित्र संचालक सहीराम ने अपने मोबाईल फोन का स्पीकर ऑफ कर पटवारी से बात की। उक्त वार्ता को मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है तथा ईमित्र संचालक सहीराम से भी मेरे काम के संबंध में वार्ता हुई तो सहीराम ने भी पटवारी के कहेनुसार 4000 रूपये रिश्वत के मेरे से मांगे है। उक्त वार्ता को मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है। निर्देशानुसार परिवादी को पांचू छोड़कर मै चौकी आया हूं। कानि. जमील अहमद द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो कानि. द्वारा बतायी गई वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई है। सत्यापन वार्ता से पांचू पटवारी श्री अम्बालाल मीणा द्वारा परिवादी पंकज साध के कार्य हेतु 4000 रूपये की रिश्वत के ईमित्र संचालक सहीराम के मार्फत मांग करने के तथ्य स्पष्ट है। चूंकि पटवारी द्वारा दिवाली की छुटियों के बाद परिवादी को बुलाया है। अतः आईन्दा परिवादी के हाजिर आने पर सत्यापन वार्ता की फर्द मुर्तिब कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जायेगा। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।दिनांक 29.10.2025 को परिवादी पंकज साध उपस्थित चौकी आया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स तैयार करने के लिए पूर्व से पाबन्दशुदा दो सरकारी कर्मचारी श्री रविशंकर पवांर व श्री मोहन कुलड़िया वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक हाजिर चौकी आने पर दोनो सरकारी कर्मचारियों को परिवादी पंकज साध द्वारा करवायी जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की पूछने पर दोनो ने अपनी सहमति व्यक्त की। दोनो गवाह को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया तो परिवादी ने सही होना बताया। दिनांक 16.10.2025 को परिवादी पंकज साध व पटवारी अम्बालाल मीणा के मध्य हुई वार्ता एवं दिनांक 17.10.2025 को परिवादी व ईमित्र संचालक सहीराम के मध्य हुई वार्ता का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर वार्ता को परिवादी व गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। सत्यापन वार्ता का सील्ड मेमोरी कार्ड व पैन ड्राईव जरिये प्रभारी जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी पंकज साध ने बताया कि रिश्वत राशि 4000 रूपये की व्यवस्था कर मै दिनांक 30.10.2025 को उपस्थित हो जाउंगा। इसलिए परिवादी व दोनो गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर आईन्दा दिनांक 30.10.2025 को हाजिर आने के लिए पाबन्द कर रवाना किया गया।दिनांक 30.10.2025 को परिवादी पंकज साध के हाजिर चौकी आने पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो गवाह श्री रविशंकर पवांर व मोहन कुलड़िया को तलब कर उनके समक्ष परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 4000 रूपये के नोट पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार है:- 01.एक पांच सौ रूपये का नोट 3PB 724076, 02. एक पांच सौ रूपये का नोट 3PB 724073, 03. एक पांच सौ रूपये का नोट 8EB 863802, 04. एक पांच सौ रूपये का नोट 9BL 226848, 05. एक पांच सौ रूपये का नोट 8QD 896482, 06. एक पांच सौ रूपये का नोट 1HH 370523, 07. एक पांच सौ रूपये का नोट 1HV 209262, 08. एक पांच सौ रूपये का नोट 9KK 425605 उपरोक्त सभी नोटों पर श्रीमति बिमला मकानि. 229 से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाकर परिवादी की बाद जामा उसके पहनी पेंट की बांयी जेब में रिश्वत राशि रखवाई गई। परिवादी को निर्देश दिये कि उक्त रिश्वत राशी नही छूये तथा आरोपी के मांगने पर अपनी जेब से निकालकर उसे देवे तथा अपने कार्य के संबंध में वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशी प्राप्त कर लेने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपने मोबाईल से कॉल करे अथवा सम्भव हो तो ट्रेप पार्टी की तरफ अपने चेहरे पर हाथ फेरकर ईशारा करें। फिनॉलफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया। परिवादी पंकज साध को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये सरकारी वॉयस रिकॉर्डर व ईशारे के लिये उसका मोबाईल सुपूर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपूर्दगी व दृष्टांत फिनॉलफ्थलीन पाउडर अलग से तैयार की गई।वक्त 10.25 एएम पर मै अति. पुलिस अधीक्षक मय परिवादी पंकज साध, गवाह रविशंकर पवांर, मोहन कुलड़िया, ट्रेपदल सदस्य इन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक, गिरधारसिंह उनि, अशोक कुमार एएसआई, राजेन्द्र हैड कानि. कन्हैयालाल, जमील अहमद, दिलीप यादव, गिरधारीलाल कानिस्टेबलगण चौकी एसीबी से आमदा कानि. भगवानदास, मनोहरलाल के जरिये सरकारी वाहन मय चालक गजेन्द्रसिंह व प्राइवेट वाहन आरजे.07 टीबी.3251 मय चालक इन्द्रचंद, प्राइवेट वाहन आरजे.07 टीए.4726 चालक बबलू के ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, कैमरा इत्यादि हमरा लेकर चौकी से रवाना होकर कस्बा पांचू में नाथूसर तिराहा के पास पहुंचा। श्री इन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक को मय टीम के निर्देश दिये कि पटवारी अम्बालाल मीणा की कूदसू गांव में शिविर में होने की जानकारी मिली है। अतः ईमित्र संचालक द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने की सूचना पर शिविर से पटवारी अम्बालाल मीणा को दस्तयाब कर हमरा लेकर लाये। परिवादी श्री पंकज साध को आवश्यक निर्देश देकर ईमित्र संचालक सहीराम से सम्पर्क करने हेतु उसके दुकान के लिए रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे कन्हैयालाल व मनोहरलाल कानि. को रवाना किया। मै अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ट्रेपदल सदस्य गाड़ियो में ही परिवादी के ईशारा के इन्तजार में मुकिम हुए।वक्त 12.33 पीएम पर परिवादी श्री पंकज साध द्वारा रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा मिलने पर मै अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान को साथ लेकर

तुरन्त ही नाथूसर रोड़ पर उप तहसील के सामने स्थित महादेव ईमित्र की दुकान के आगे पहुंचा। परिवादी पंकज साध महादेव ईमित्र की दुकान में एक व्यक्ति के पास खड़ा है, जिसके पास पहुंचने पर परिवादी पंकज साध ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सहीराम ईमित्र संचालक है। इन्होने अभी अभी यहां कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे से रूपये मांगे तो मैने मेरी जेब से निकालकर चार हजार रूपये इनको दिये तो इन्होने रूपये अपने हाथ में लेकर गिनकर सामने कम्प्युटर के पास रखे कागजों के नीचे रख दिये। मैने मेरे काम के लिए कहा तो सहीराम ने कहा कि पटवारी जी ने मुझे बता दिया है। मुआवजा की रिपोर्ट मै ही तैयार करूगा जो आज तैयार कर पटवारी जी को दे दूंगा। इस पर परिवादी के पास कुर्सी पर बैठा व्यक्ति एकदम से घबरा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए परिचय पूछा तो इसने अपना नाम श्रीराम जाट महादेव ईमित्र संचालक पांचू बताया। श्रीराम को परिवादी पंकज साध से ली गयी रिश्वत राशी बाबत पूछा गया तो श्रीराम ने कहा कि मैने इससे कोई पैसे नही लिये है। परिवादी पंकज साध के बताये अनुसार कि श्रीराम ने उससे रिश्वत राशि लेकर गिनकर कम्प्युटर के पास कागजों के नीचे रखी है। जिस पर कम्प्युटर के पास रखे कागजों के नीचे व अन्दर गवाह श्री रविशंकर पवांर से तलाश करवाई गई तो रिश्वत राशि नही मिली। श्रीराम को पुनः तसल्ली से रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर श्रीराम ने कहा कि पंकज साध से लिये रूपये मेरी पेन्ट की जेंब में है, जो मैने पटवारी अम्बालाल मीणा के कहने पर लिये है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्रीराम के दाहिने व बांये हाथ को क्रमशः मनोहरलाल कानि. व कन्हैयालाल कानि. ने कलाईयों से पकड़ लिये। गवाह श्री रविशंकर पवांर से श्रीराम की पहनी पेन्ट की जेंब की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के नोट मिले। उक्त नोटो को गिनकर गवाह ने 4000 रूपये होना बताया। दोनों गवाह से उक्त नोटों के नम्बरों का पूर्व में बनी फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी एवं दृष्टांत फिनॉफथलीन पाउडर में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर वही पाये गयें। उक्त रिश्वत राशि 4000 रूपये गवाह श्री रविशंकर पंवार को सुरक्षित अपने पास रखने के निर्देश दिये। आरोपी श्रीराम द्वारा पटवारी अम्बालाल मीणा के कहेनुसार उसके लिए 4000 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त किये है। इस सम्बन्ध में आरोपी श्रीराम जाट को गिरफतार करने बाबत् पत्र एसपीएल-01 दिनांक 30.10.2025 दिया गया। उपरोक्त पूछताछ तक ईमित्र की दुकान के आगे 20-25 व्यक्ति एकत्रित हो गये। चूंकि पांचू ग्रामीण क्षेत्र है तथा काफी व्यक्ति एकत्रित हो गये है। अतः ईमित्र दुकान से बाहर आकर दुकाने के ताला लगाकर सुरक्षित कार्यवाही करने के लिए आरोपी श्रीराम ईमित्र संचालक को हाथ पकड़े-पकड़े ही गाड़ी में बैठाकर ट्रेप पार्टी सहित मै अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पास ही स्थित पुलिस थाना पांचू पहुंचा। पांचू थाने के एक कक्ष में ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो डिस्पोजेबल गिलासो में पानी भरकर दोनो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्रीराम जाट ईमित्र संचालक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्रीराम जाट ईमित्र संचालक के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्रीराम के लिए एक लॉवर मंगवाकर पहनी पेंट को उतरवाकर उसकी पीछे की दाहिनी जेंब को उल्टवाकर प्रक्रिया अनुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्रीराम की उक्त पेंट बंरग क्रिम चैकदार को कपड़े की थैली शील्ड कर मार्क X अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वत राशि जो गवाह रविशंकर पवांर के पास सुरक्षित है। उक्त राशि के नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर चार हजार रूपये के नोटों को खुले कपड़े में सील्ड कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री इन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक मय टीम को पूर्व के निर्देशानुसार श्री अम्बालाल मीणा पटवारी को कूदसू ग्राम में संचालित ग्रामीण सेवा शिविर से दस्तायाब कर पुलिस थाना हाजिर आये। पुलिस निरीक्षक के साथ एक व्यक्ति जिसने पटवारी-पांचू होना बताया। इसको मन् अतिरिक्त पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो इस व्यक्ति के अपना नाम अम्बालाल मीणा पांचू पटवारी बताया। पटवारी अम्बालाल मीणा ने पूछने पर बताया कि मै परिवादी पंकज साध को नही जानता हूं हो सकता है ये मेरे से मिला होगा। मैने ईमित्र संचालक श्रीराम जाट को पंकज साध से कोई रूपये लेने की बात नही कही तथा ना ही पंकज साध से मैने किसी प्रकार की रिश्वत की मांग की। मेरे पास पंकज साध का कोई काम पैण्डिग नही है। बिजली विभाग द्वारा लगाये गये 60 टावरों की रिपोर्ट मैने दिवाली से पहले ही बिजली विभाग को दे दी। आरोपी श्रीराम जाट ईमित्र संचालक ने अम्बालाल मीणा पटवारी के समक्ष कहा कि पंकज साध के खेत में आये बिजली के टावर के नीचे आई भूमि का मुआवजा के लिए रिपोर्ट बनाने हेतु पटवारी अम्बालाल मीणा ने मुझे पंकज साध से चार हजार रूपये खर्चे के लेने के लिए कहा था इसलिए मैने आज पंकज साध से पटवारी अम्बालाल मीणा के कहेनुसार इनके लिए चार हजार रूपये रिश्वत के लिए थे। हाजिर परिवादी पंकज साध ने

बताया कि पटवारी जी झूठ बोल रहे है। हमारे खेत में बिजली के टावर के नीचे आई भूमि का मुआवजा लेने के लिए मै पटवारी जी से दिनांक 16.10.2025 को मिला तो पटवारी जी ने मुआवजा की अन्तिम किश्त के लिए पहले पांच हजार रूपये व फिर चार हजार रूपये के लिए हाथ से ईशारा किया तथा कहा कि समय बहुत खराब है, विश्वास किसी पर नही है, नौकरी का सवाल है, तू तहसील के सामने सहीराम ईमित्र वाले से मिल लेना और मेरी बात करवा देना आगे की सारी बात वो ही करेंगा। मैने दिनांक 17.10.2025 को सहीराम ईमित्र वाले से बात की तो सहीराम ने कहा कि पटवारी अम्बालाल मीणा ने मुझे कह दिया है, तू चार हजार रूपये पटवारी के लिए खर्चे के लिए मेरे को दे देना मै उनको कह कर मै तेरा काम करवा दूंगा। पटवारी जी ने मुझे कहा था कि दिवाली की छुट्टीयों के बाद तेरा काम कर देगें, तब तू सहीराम ईमित्र संचालक से मिल लेना। आज मै पटवारी जी के कहेनुसार सहीराम ईमित्र संचालक से उनकी दुकान पर मिला तो सहीराम ने मेरे से चार हजार रूपयें लेकर पटवारी अम्बालाल मीणा से फोन पर बात की कि पंकज साध मेरे पास आया है। उसकी रिपोर्ट का क्या करना है तो शायद पटवारी जी ने सहीराम को कहा इसकी रिपोर्ट मै भेज दूंगा आप ऑनलाईन कर देना तथा पंकज को नोखा मेरे पास मत भेजना। ईमित्र वाले श्रीराम को गांव में सहीराम भी कहते है इसलिए मेरे सहीराम नाम ध्यान में रहा था । उपरोक्त कार्यवाही की हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि अलग से तैयार की गई। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील की फर्द नमूना सील अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब किया गया। आरोपी अम्बालाल मीणा पटवारी पांचू व श्रीराम जाट संचालक महादेव ईमित्र पांचू को कारित अपराध से अवगत करवाकर हस्व कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। आरोपी अम्बालाल मीणा पटवारी व श्रीराम जाट ईमित्र संचालक के मोबाईल फोन में व्हाट्सप चैटिग के परीक्षण हेतु दोनो आरोपीगण के मोबाईल फोन जरिये फर्द जब्त किये गये। आरोपी श्रीराम ईमित्र संचालक के हाथों व पेंट जेब के धोवन, रिश्वत राशि की बरामदगी तथा पटवारी अम्बालाल व श्रीराम जाट से की गई पूछताछ व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की करवाई गई विडियोग्राफी की फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड अलग से तैयार की गई। रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी पंकज साध व आरोपी श्रीराम जाट ईमित्र संचालक के मध्य हुई वार्ता जो वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को जरिये लैपटॉप सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्टस लेन-देन वार्ता अलग से तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड की वार्ता को दो पैन ड्राईव मे कॉपी कर मूल मैमोरी कार्ड व एक पैन ड्राईव को सील्ड कर जब्त किया गया। उक्त प्रकरण में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रंनिग नोट तैयार कर मय फर्दात शामिल पत्रावली किया गया।अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी पकंज साध के पांचू ग्राम की रोही स्थित कृषि भूमि में बिजली विभाग द्वारा बिजली का टावर लगाया गया। टावर के नीचे आयी भूमि का बिजली विभाग से खातेदार को मुआवजा के रूप में अन्तिम भुगतान करने के लिये परिवादी ने बिजली विभाग के अधिकारीयो से सम्पर्क किया तो पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भुगतान होने की कही गई। इस पर परिवादी पकंज साध द्वारा पांचू पटवारी अम्बालाल मीणा से कृषि भूमि में लगे टावर के संबंध में रिपोर्ट देने के लिये कहा तो अम्बालाल पटवारी ने पद का दुरपयोग कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न चार हजार रूपये रिश्वत की मांग की व इस संबंध में पांचू स्थित महादेव ईमित्र संचालक श्रीराम जाट से विस्तृत वार्ता करने की कही गई । जिस पर परिवादी पकंज साध ने श्रीराम जाट से वार्ता की तो उसने चार हजार रूपये रिश्वत देने पर कृषि भूमि में लगे टावर की रिपोर्ट देने के लिये पटवारी अम्बालाल के कहेनुसार रिश्वत की मांग की व मांग के अनुसरण में दिनांक 30.10.2025 को अपने ईमित्र केन्द्र पर परिवादी पकंज साध से चार हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त किये। आरोपी अम्बालाल मीणा पटवारी पांचू एवं श्रीराम जाट ईमित्र संचालक पांचू द्वारा आपस में मिलिभगत कर परिवादी पकंज साध से कृषि भूमि में लगे टावर की रिपोर्ट देने की ऐवज में चार हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त किये। इस पर आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है।अतः श्री अम्बालाल मीणा पटवारी पटवार मण्डल पांचू एवं श्री श्रीराम जाट महादेव ईमित्र संचालक पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राज. जयपुर की सेवा में प्रेषित है।(आशीष कुमार)अति. पुलिस अधीक्षकभ्र.नि.ब्यूरो (एसयू) बीकानेर ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आशीष कुमार अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो (एसयू) बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण श्री अम्बालाल मीणा पुत्र श्री किशनाराम मीणा उम्र 27 वर्ष निवासी गांव भडंगपुरा पोस्ट चतुर्भुजपुरा तहसील निवाई पुलिस थाना निवाई सदर जिला टोंक हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्डल पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर। 2. श्री श्रीराम पुत्र स्व. पाबूराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी पांचू पुलिस थाना पांचू जिला बीकानेर हाल संचालक महादेव ईमित्र पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 733 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक -मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1601-04 दिनांक 31.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर,

2. जिला कलेक्टर बीकानेर 3. उप महानिरीक्षक पुलिस- जोधपुर4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर एसायू, पुलिस अधीक्षक- मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Anand Mishra **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 3[illegible]/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				
2	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)